मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

कमांक एफ– 1 –02 / 2018 / 26–2 भोपाल दिनांकः 09/03/ 2018

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त आयुक्त, नगर निगम, मध्यप्रदेश
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
5. समस्त संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
7. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका / नगर परिषद मध्यप्रदेश

विषयः– राष्ट्रीय परिवार सहायता (NFBS) में पात्रता के मापदण्ड का स्पष्टीकरण के संबंध में।

संदर्भ :–मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण का पत्र क्रमांक 541 / 26–2 / 2012, दिनांक 25–04–2013 एवं पत्र क्रमांक 453 / 26–2 / 2017 भोपाल दिनांक 6–6–2017

–0–

उपरोक्त संदर्भित पत्र (कंडिका–1 बिन्दु–2)में राष्ट्रीय परिवार सहायता (NFBS) योजना के पात्रता के मापदण्ड में उल्लेखनीय है कि " मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य हो"। भारत शासन, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी दिशा निर्देश पुस्तिका दिनांक 15–07–2016 के परिपेक्ष्य में पात्रता मापदण्ड एवं सहायता की मात्रा को पुनः निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता हैः–

1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के घटक राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS) के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को सहायता प्राप्त होगी ।
2. मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर शोक संतप्त परिवार को रूपये 20,000 / – की एकमुश्त सहायता दी जाएगी । यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी प्रकार की मृत्यु (प्राकृतिक या अन्य) हो जाने पर परिवार सहायता के लिए पात्र होगा ।
3. गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के किसी भी कमाऊ सदस्य, जिसकी कमाई घर चलाने में अहम योगदान करती है कि मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को राष्ट्रीय परिवार सहायता का लाभ लेने की पात्रता होगी। मृतक के परिवार में सदस्य महिला या पुरूष या ट्रान्सजेण्डर हो सकता है। राष्ट्रीय परिवार सहायता की पात्रता के लिए लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद–भाव नहीं किया जाए।

4. स्थानीय जॉच के बाद मृतक गरीब के परिवार में ऐसे जीवित सदस्य को पारिवारिक लाभ का भुगतान किया जाएगा जो उस परिवार का कमाऊ व्यक्ति पाया गया हो।
5. इस योजना के प्रयोजन के लिए "**परिवार**" शब्द में निम्न को शामिल किया गया है:–
   - विवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में:–पति, पत्नि, छोटे बच्चों, अविवाहित लड़किया और आश्रित माता–पिता,
   - अविवाहित वयस्क की मृत्यु के मामले में:– छोटे भाई/बहन या आश्रित माता–पिता
6. ऐसे मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम की आयु में हुई हो।

कृपया सुनिश्चित करें कि इस स्पष्टीकरण के अनुरूप प्रत्येक मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु के मामले में प्रत्येक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार को राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत लाभ दिया जाये।

8/3

(अशोक शाह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण मध्यप्रदेश

पृ0 कमांक एफ–1 – 02/2018/26–2 भोपाल दिनांकः 09/03/2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, भोपाल।
3. निज सचिव, मा. राज्य मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,भोपाल।
4. मुख्य सचिव के उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगररीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.।
6. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्सयप्रदेश भोपाल।
7. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. आयुक्त पंचायतीराज संचालनालय, मध्यप्रदेश.।

8/3/18

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण मध्यप्रदेश